XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग.–875 I 15 जिला सागर

कुमार / शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-15	1– यह प्रकरण आवेदक के आवेदन के आधार पर लिया गया आवेदक अधिवक्ता द्वारा 41/27 के आवेदन के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया। यह अपील न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्र.क. 364/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा–44(2) के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक के विद्वान अविक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक को आराजी ग्राम निरतला तहसील खुरई भूमि ख.क्र. 76/2 रकवा 0.50 हे0 का पट्टा प्रदाय किया गया था। जिसका विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु जो आवेदन दिया गया था, वह बीमारी हेतु राशि की व्यवस्था किए जाने व आवेदक द्वारा लिए कर्ज को अदा करने हेतु प्रस्तुत किया गया था साथ ही साथ आवेदक को जिस भूमि का पट्टा प्रदाय किया गया था वह भूमि बंजर व कृषि कार्य हेतु उपयुक्त भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा यह कथन भी किया था कि आवेदक उक्त भूमि को विक्रय कर अपने निवास स्थान के समीप कृषि योग्य भूमि विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अन्य भूमि क्रय करना चाहता है इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उसके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए अपील ग्राह्य किए जाने का अनुरोध किया गया। 3. आवेदक/अपीलार्थी के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण	

[कृ. प. उ.

का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इंकार किया है कि प्रश्नाधीन भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक के पास संहिता की धारा–165 के प्रावधानों के तहत पर्याप्त भूमि शेष नहीं रहेंगी। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में उचित है। परंतु चूंकि आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर अपने निवास स्थान के समीप विक्रय की जा रही भूमि के बराबर ही अन्य भूमि क्रय करेगा इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत तथा प्रकरण की अघतन स्थिति के परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः आवेदक द्वारा पट्टे पर प्राप्त प्रश्नाधीन भूमि निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2014–15 की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।
2. आवेदक द्वारा जितनी भूमि विक्रय की जा रही है, कम से कम उतनी भूमि उसके द्वारा क्रय की जायेगी।
3. आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय और क्रय की जाने वाले भूमि के विक्रय पत्रों का पंजीयन उप पंजीयक द्वारा एक ही दिन एक साथ किया जायेगा।
4. भूमि के क्रय विक्रय का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 6 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा।

सदस्य

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर, म.प्र.

अपील 875-I-15

1. खुमान पिता मुलू सौर
2. मंझली बहू उर्फ सूरजबाई पत्नि खुमान सौर

दोनो निवासी ग्राम कुरूवा दुरूवा तहसील बीना
जिला सागर म.प्र.

............अपीलार्थीगण

अजय श्रीवास्तव एड.
प्र.आज दि. 24-5-15 को प्रस्तुत
24-5-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

म.प्र. शासन

............प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र. भू – राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के प्रकरण क्र. 364/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15.04.2015 से परिवेदित होकर यह द्वितीय अपील निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है :–

//प्रकरण के तथ्य//

अजय श्रीवास्तव (एड.)
सागर

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगणों ने अपनी भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम निरतला तह0खुरई ख0नं0 76/2 रकवा 0.50हे0 भूमि जो कि उन्हें म0प्र0 शासन से पट्टे पर प्रदान की गयी थी को अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सागर के समक्ष विक्रय हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर तह0 खुरई द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार जारी कर अपीलार्थीगणों के कथन आदि लेकर एवं संबंधित हल्का पटवारी एवं आर0आई0 द्वारा मौका स्थल पर जॉच करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये सि पर विधिवत् प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष में गवाहों के कथन आदि के पश्चात् अपीलार्थी क्र01 खुमान द्वारा पूर्ण पैसा न मिलने के कारण तह0 के समक्ष उक्त भूमि को विक्रय न करने हेतु निवेदन किया किंतु बाद में स्पाम्प पर दिनॉक 26.02.2014 को मय फोटो के शपथ–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि उक्त भूमि की कीमत सही न मिलने के कारण मना किया था किंतु अब कीमित पूरी मिलने से विक्रय करना चाहता हूँ, उक्त प्रकरण श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदनों के सहित प्राप्त हुआ जिस पर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ने अपीलार्थीगणों

24/5/20